12.48½ hrs.

DEMANDS FOR GRANTS (UTTAR PRADESH), 1968-69 – *Contd.*

MR. SPEAKER : Now we take up further discussion and voting on the Demands for Grants in respect of the Budget (Uttar Pradesh) for 1968-69. We have still one hour and fifteen minutes. At about 2.30 the Minister will reply and by 3 O'Clock, it will be over...(*Interruptions*).

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : Anything about U. P. ghosts ? I had drawn your attention to certain ghosts appearing in Allahabad.

MR. SPEAKER : I have no idea ; no ghost is haunting me.

Mr. Molahu Prasad.

12.48½ hrs.

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

श्री मोलहू प्रसाद (बास गांव) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का बजट यहां पेश हुआ है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ तो भारतीय संविधान में गवर्नर को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी रखने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन जिस तरह से जितने भी गवर्नर हैं, चाहे वह बंगाल का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे पंजाब का हो, उन्होंने अपनी केन्द्रीय सरकार के इशारे पर तानाशाही रवया अखत्यार किया है, वह एक दम निन्दा का पात्र है ।

जब बजट पेश हुआ था उस दिन मैंने मांग की थी पंच-वर्षीय योजनाओं के प्रारम्भिक काल में उत्तर प्रदेश का तीसरा नम्बर था अब तीन पंचवर्षीय योजनायें बीत जाने के बाद उस का 13 वां नम्बर है, इस तरह का भेद भाव का व्यवहार केन्द्रीय सरकार को यू० पी० के साथ नहीं करना चाहिये था । लेकिन केन्द्रीय सरकार ने ऐसा किया है । आज केन्द्रीय सरकार राज्यों में बजट का वितरण 70 प्रतिशत जन संख्या के आधार पर और 30 प्रतिशत पिछड़ेपन पन के आधार पर करती है । उस दिन मैंने मांग की थी कि इसके स्थान पर 50 प्रतिशत पिछड़े पन के आधार पर और 50 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर होना चाहिये । इस से उत्तर प्रदेश का अधिक लाभ हो सकता और अधिक विकास उस का हो सकता है ।

प्रधान मंत्री से एक प्रश्न 1 मई को पूछा गया था, तारांकित प्रश्न 1665 । उस के उत्तर में प्रधान मन्त्री ने बतलाया कि गाजीपुर आजमगढ़, जौनपुर, देवरिया, बस्ती और बलिया इन छः जिलों को पटेल जांच आयोग ने लिया है ।

मैंने मांग की थी कि गोरखपुर के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पटेल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए लेकिन ऐसा इन्होंने आज तक नहीं किया है और न ही इस के बारे में कोई आश्वासन ही दिया हैं । केन्द्रीय सरकार जिस तरह से जनसंख्या और पिछड़ेपन के आधार पर राज्यों में धन का आजकल बटवारा कर रही है उस तरीके का मैं विरोध करता हूं । मैं समझता हूँ कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है । मैं चाहता हूं कि इस ओर आप ध्यान दें ।

इस वक्त उत्तर प्रदेश में गवर्नर के हाथ में शासन की बागडोर है । मैंने खाद्य तथा कृषि मन्त्री से दो मई 1968 को अतारांकित प्रश्न नम्बर 9301 किया था । मैंने पूछा था :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गए दिनांक 19 अगस्त 1967 के सरकारी आदेश संख्या 303/1-ए-8-2 (5)/67 के अनुसरण में ग्राम सभाओं की भूमि प्रबन्ध समितियों द्वारा दिये गए पट्टों के बारे में जांच रिपोर्ट सभी जिला अधिकारियों से सरकार को प्राप्त हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो जिलावार उनका ब्यौरा क्या है ?

इसके उत्तर में कृषि मन्त्री कहते हैं:

(क) व (ख) . उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मेरे हाथ में दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान है जो कि सोमवार दिनांक 29 अप्रैल 1968 का है। इसके प्रथम पेज पर यह छपा हुआ है "उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल में सवा लाख एकड़ जमीन के वितरण में घोटाला"। इसमें यह भी कहा गया है कि 44 जिलों की जांच हो चुकी है और उसका ब्यौरा दिया जा चुका है। लेकिन चौदह जिले जिस में हरदोही हमीरपुर,बुलन्दशहर,बलिया,फर्रुखाबाद, इटावा, फतेहपुर, खेड़ी, प्रतापगढ़, गाजीपुर, तथा बांदा शामिल है, गैर कानूनी वितरण के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। अब आप देखिये कि चवालीस जिलों की जांच की रिपोर्ट तो इन अखबार वालों को मिल गई है लेकिन संसद सदस्यों को वह नहीं दी गयी है। संसद सदस्य जब मांगते भी हैं तो भी उनको जानकारी नहीं दी जाती है। यह कैसी विडंबना की बात है। यह जो गवर्नर का शासन है और यह जो सरकार का प्रशासन है, जिस तरीके से वह चल रहा है, उसका मैं जम कर विरोध करता हूँ। मैं चाहता हूं कि यह जो नौकरशाही की प्रवृत्ति है कि संसद सदस्यों को जानकारी न दी जाए और अखबार वालों को दे दी जाए इसका अन्त होना चाहिये।

एक दूसरा प्रश्न मैंने 2 मई को पूछा था। यह भी अतारांकित प्रश्न था। इसका नम्बर है 9271। यह प्रश्न मैंने हाथी जी से पूछा था। ये हाथी घोड़े जब मन्त्री हो गए हैं तो देश का कैसे कल्याण हो सकता है। अब इसका भी क्या जवाब दिया गया है, इसको आप देखें—

श्री अ० सि० सहगल (बिलासपुर) : सभ्य भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिये।

श्री मोलहू प्रसाद : सभ्यता आप मुझे मत सिखायें। मैं जानता हूं क्या सभ्यता होती है।

श्री अ० सि० सहगल : सभ्य होते तो ऐसा क्यों बोलते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह हाथी घोड़े शब्द का जो प्रयोग किया गया है यह अच्छा नहीं है, इसको आप वापस ले लें।

श्री मोलहू प्रसाद : अच्छा इसको मैं वापिस लेता हूँ।

मैंने दो मई वाले प्रश्न में हाथी जी से पूछा था :

(क) सितम्बर 1967 से मार्च 1968 तक की अवधि में कारखाना अधिनियम, 1948 के उपलबन्धों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने के लिए जिन मिल मालिकों और प्रबन्धक अधिकारियों पर मुकदमे चलाये गये उनके नाम क्या हैं,

(ख) उन में से कितने लोगों पर जुर्माना किया तथा प्रत्येक व्यक्ति से जुर्माना की कितनी राशि वसूल की गई, और

(ग) कितने व्यक्तियों को कैद की सजा दी गई तथा प्रत्येक व्यक्ति को कितनी सजा दी गई, कितने व्यक्ति रिहा किये गये तथा उनके नाम तथा पद क्या हैं ? अब उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें कि इसका उत्तर क्या दिया जाता है। यह कहा जाता है :

(क) से (ग) : यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। अब आप देखें कि 25 फरवरी से उत्तर प्रदेश का शासन केन्द्र के हाथ में आ गया है लेकिन माननीय मंत्री जी कहते हैं कि यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। इसलिए मैंने उस शब्द का प्रयोग करने का साहस किया था। वर्ना मेरे मन में हर एक आदमी के लिए सम्मान की भावना है। इस तरीके का जब जवाब दिया जाता है तो यह कहां तक शोभनीय है, इस को आप देखें। संसदीय प्रणाली का आप को काफी अनुभव है और आप से हमें इसको सीखना है, आप ही हमें इसको सिखाने वाले हैं।

बजट पर बहस के समय गरीबी और अमीरी की काफी चर्चा चली थी। मैंने इसी सम्बन्ध में सात दिसम्बर 1967 को वित्त मंत्री जी से आय कर दाताओं के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 3258 पूछा था। मैंने इसमें यह पूछा था :

[श्री मोलहू प्रसाद]

(क) देश के सब राज्यों और संघीय क्षेत्रों में कर दाताओं की कुल संख्या कितनी है,

(ख) कर दाताओं में से कितने व्यक्ति विधान सभा, न्यायपालिका और कार्य-पालिका के सदस्य हैं और कितने व्यक्ति किसान, व्यापारी और उद्योगपति हैं, और

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

इसका उत्तर वित्त मन्त्री जी ने यह दिया था :

(क) आयकर विभाग के जनरल इंडेक्स रजिस्टर पर 30 सितम्बर 1967 को निर्धारितियों की संख्या 27,53,388 थी।

(ख) और (ग). ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है।

आदिमजातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के कितने लोग आयकर देते हैं, इसका पता ये लगाते ही नहीं हैं। अब आप देखें कि किस किस तरह के तथ्य आप एकत्रित करते हैं। एक दूसरी यह पत्रिका मेरे हाथ में है 21 अप्रैल 1968 की जोकि आपकी तरफ से प्रकाशित होती है। इसके पृष्ठ संख्या 19 पर यह छपा हुआ है कि यह सरकार चूहों का पता लगा लेती है कि कितने हैं लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों में से कितने लोग आय कर देते हैं, इसका यह सरकार पता नहीं लगा पाती है। इस पत्रिका में चूहों का पूरा विवरण दिया हुआ है कि कितने हैं। अब आप देखिये कि चूहे जमीन के अन्दर रहते है, अंडर ग्राउंड रहते हैं। उनका पता तो इस सरकार को लग जाता है लेकिन अनुसूचित आदिम जातियों का विकास कितना हुआ है और उन में से कितने लोग आयकर देने वाले हैं, इसका इस सरकार को पता ही नहीं चलता है। यह कितने शर्म की बात है।

एक प्रश्न 7 दिसम्बर 1967 को मैंने समाज कल्याण मन्त्री से किया था। इसकी संख्या है 3258। यह भी अतारांकित प्रश्न था। इस में मैंने पूछा था कि समाज कल्याण योजनाओं पर विभिन्न मदों में कितनी कितनी धनराशि खर्च की गई है। इसके उत्तर में समाज-कल्याण मन्त्री कहते हैं कि यह चूंकि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, इस वास्ते वह यह सूचना नहीं दे सकते हैं। अब आप देखें कि समाज-कल्याण की केन्द्रीय सरकार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। जहां पर राष्ट्रपति का शासन भी लागू होता है, उस प्रान्त के बारे में भी अगर सूचना मांगी जाती है तो भी वह नहीं दी जाती है। इस तरीके से इस सरकार का कामकाज चल रहा है। ये जो उत्तर दिये जाते हैं ये किसी भी तरह से समाधानकारक नहीं होते हैं। ऊल जलूल उत्तर दे दिये जाते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान की जब बात की जाती है और यह पूछा जाता है कि कितना पैसा खर्च किया गया है और किस तरह से किया गया है, तो कोई विवरण ही उसका नहीं दिया जाता है।

हिन्दुस्तान के सभी मामलों को कुछ व्यक्ति विशेषों की राजनीति का अखाड़ा बना कर इस देश की सारी हालत को बिगाड़ा जा रहा है। पालियामेंट की जितनी कमेटियां हैं, उनकी जो रिपोर्ट पेश होती हैं, वे अंग्रेजी में होती हैं और उनका हिन्दी अनुवाद नहीं दिया जाता है। हम तो इसको देख कर परेशान हो गए हैं। ऐसा मालूम होता है कि यह भारत की लोक सभा नहीं है, इंग्लैंड की सभा है। मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ। जिधर देखें उधर इंग्लिस्तान इंडिया नजर आता है, जितने भी महत्व पूर्ण देश के मामले हैं वे सारे मामले अंग्रेजी में लिये जाते हैं और उसी के माध्यम से हमारे सामने रखे जाते हैं। अब आप उत्तर प्रदेश की बात को ही लें। उत्तर प्रदेश में संविद की सरकार ने तय किया था कि 26 जनवरी जो गुजर चुकी है, से सरकार का सारा काम काज अंग्रेजी के बजाय हिन्दी में होगा। लेकिन वहां

अब गवर्नर महोदय हमे सभी सूचनायें आदि अंग्रेजी में देते हैं। मैं सलाहकार समिति का सदस्य हूं। वहां जो मामले रखे जाने हैं वे सारे अंग्रेजी में दिये गये हैं। मेरे मां बाप तो अंग्रेज नहीं थे। मैं अंग्रेजी को क्यों अपनाये रखूं। दूसरों के मां बाप कौन है, इसको मैं नहीं जानता हूं। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि जो हिन्दुस्तानी हैं, उनको तो कम से कम अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिये, मातृभाषा में कामकाज करना चाहिये, अपनी मातृभाषा में ही जवाब देना चाहिये, अगर हिन्दी में नहीं देना चाहते हैं तो। मां गोरी हो और मौसी काली कलूटी भी हो तब भी मैं दोनों का आदर करता हूं लेकिन अस्पताली नर्स का मैं कभी आदर नहीं कर सकता, उसको सम्मान का स्थान मैं कभी भी नहीं दे सकता और न ही उसको सम्मान के स्थान पर प्रतिष्ठित होते देखना मैं चाहता हूं। हिन्दुस्तान की किसी भी मां मौसी को सिंहासन के पद पर प्रतिष्ठित होते हुए मैं देखना चाहता हूं लेकिन अस्पताली नर्स को मैं सिंहासन पर बैठे हुए नहीं देखना चाहता। जो तुगलकी फरमान गवर्नर ने जारी किया है, उसकी मैं निन्दा करना चाहता हूं।

एक और मामले का उल्लेख कर के मैं समाप्त करता हूं। श्री तारा चन्द पाठक, अध्यक्ष, गन्ना कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश, मुख्य कार्यालय, गन्ना कर्मचारी संघ, खान आलमपुरा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, ने खाद्य एवं कृषि मंत्री, भारत सरकार, को यह पत्र लिखा है :

"उत्तर प्रदेश भर में पचासों हजार गन्ना विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारी गत बीसियों साल में अपार दुख सह रहे हैं। कम वेतन, नौकरी की असुरक्षा, तानाशाही, घांधलेबाजी आदि से जीवन दूभर हो चुका है। हर एक उत्तर प्रदेश की सरकार से भी अनेक बार प्रार्थनायें की गई। किन्तु कभी भी सुनवाई नहीं हुई। केवल माननीय चौधरी मंत्रि-मंडल के श्रम मंत्री ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन लिखित रूप से संघ को दे कर गत वर्ष के मई आन्दोलन को टाल दिया था। निराश हो कर संघ के 100 कार्यकर्त्ताओं को ने 11 व 12 फरवरी, सन् 1968 को दो दिन तक गन्ना फेडेरेशन पर भूख हड़ताल की थी। किन्तु गन्ना आयुक्त महोदय ने कोई भी सुनवाई नहीं की। संघ को नितान्त विवश हो कर 14 मई, 3 बजे से लखनऊ गन्ना फेडरेशन पर अपनी संलग्न न्यायोचित एवं अवैधानिक मांगों को मनवाने हेतु घेराव की घोषणा करनी पड़ी है।

अतः आप से भी करबद्ध निवेदन है कि आप समय रहते ही इन्हें निम्न मांगों को मनवाने के लिए विवश करने की अनुकम्पा करें, जिस से व्यर्थ में अनावश्यक तनाव न बढ़ने पाये।" मैं चाहता हूं कि सरकार गन्ना विभाग के कर्मचारियों की मांगों की तरफ ध्यान दे।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का विरोध करता हूं।

13.00 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at ten minutes past Forteen of the Clock.

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

DEMANDS FOR GRANTS (UTTAR PRADESH)—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : How long will the Minister take ? 10-15 minutes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT) : It is entirely up to you, Sir. I should prefer to give chance to Member. Ten or fifteen minutes would do.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall try to give chance to as many Members as possible-five minutes each.

श्री गणपत सहाय (सुलतानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सब से पहले वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बजट में कुछ नई योजनाओं के बारे में रुपये का इन्तजाम किया है ;

इस के पहले कि मैं इस बजट के सम्बंध में कुछ अपने विचारों को रखूं, मैं अपने मित्र श्री सरजू पाण्डे की कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा कि संयुक्त विधायक दल की गवर्नमेंट खत्म होने से आम जनता में बड़ा कष्ट और असंतोष है। यह बात बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूं कि उन्होंने उल्टी बात कही है। अस्लियत तो यह है कि संयुक्त विधायक दल की सरकार खत्म होने से जनता में बड़ी खुशी और बड़ा संतोष है और वह इस लिये कि संविद अपने थोड़े से टाइम में जो भी काम किये, हर आदमी समझता है कि उनसे आम जनता को कितना कष्ट पहुँचा कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने जो लगान में छूट दी थी संविद सरकार ने उस छूटे हुये लगान को, उस मुल्तवीशुदा लगान को सख्ती के साथ वसूल किया।

इसके अलावा आपको मालूम है कि कांग्रेस सरकार ने किसानों को ट्यूबवेल्स लगाने के लिये बिजली के मामले में छूट दे रखी थी लेकिन संविद सरकार के जमाने में वह छूट वापिस ले ली गई। पहले एक किसान को 25 रुपया देकर ट्यूबवेल चालू करने के लिये बिजली मिल जाती थी लेकिन संविद सरकार ने ऐसे कायदे बनाये कि जब तक हजारों रुपये न खर्च किये जायं तब तक किसी किसान को ट्यूबवेल के लिये बिजली नहीं मिल सकती।

इसके अलावा संविद सरकार ने बड़ी सख्ती के साथ गल्ले की वसूली की। किसानों के घरों में घुसकर, उनके खलिहान से बक्खार से गल्ला वसूल किया गया और इतना वसूल किया गया कि उनके पास खाने भर का भी नहीं बचा। इसलिये संविद सरकार खत्म होने से जनता को बड़ा आराम मिला है।

इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि मिड-टर्म एलेक्शन होने जा रहे हैं, वे देखेंगे कि कांग्रेस सरकार किस प्रकार से बन पाती है। उनका कहना है कि कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव में कामियाब नहीं होंगे। लेकिन मैं उनको इस बात के लिये चैलेन्ज देता हूं ...(व्यवधान...)

मैं तो कहता हूं कि आप चलकर देखें कि यह जो चूं-चूं के मुरब्बा को सरकार बनी थी उसने किसानों के साथ क्या-क्या सख्तियां की हैं। यही नहीं, मैं तो उनको पूरे जोर से चैलेन्ज देता हूं, वह देखेंगे, सुल्तानपुर से अगर एक भी कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य चुना जाये तो जो सजा आप चाहें दे सकते हैं। अभी तक तो यही रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी मेम्बर सुल्तानपुर से कभी कामियाब नहीं हुआ है और यही फिर भी रहेगा।

जहां तक उत्तर प्रदेश के बजट का सम्बन्ध है, इस बात से सभी सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में हमारी केन्द्रीय सरकार को जितना ध्यान देना चाहिये था उतना ध्यान नहीं दिया गया है। सभी इस बात से भी सहमत है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 7-8 करोड़ है। हमारे देश का यह सबसे बड़ा प्रदेश है। इस प्रदेश के बजट में पहले जिस प्रकार से रुपया रखा जाता था उसमें कोई तरक्की नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्टों में इस बात को तस्लीम किया है कि उत्तर प्रदेश का जितना विकास होना चाहिये था उतना विकास नहीं हुआ है। पहले जो कुछ विकास हुआ वह पश्चिमी जिलों में या उत्तरी जिलों में हुआ, लेकिन पूर्वी जिलों का जरा भी विकास नहीं हो पाया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर पूर्वी जिलों का जिक्र किया। पटेल कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र करते हुये उन्होंने कहा है कि जिन चार जिलों के बारे में पटेल कमीशन की रिपोर्ट थी उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, जौनपुर, इन

जिलों का हवाला दिया गया है। अब मैं अगर सुल्तानपुर का जिक्र करूं तो आपको ताज्जुब होगा कि न तो यह पश्चिमी जिला समझा जाता है और न पूर्वी जिला समझा जाता है, यह बीच में लटका हुआ है, न इधर का न उधर का, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सुल्तानपुर जिले की आबादी 14 लाख है जोकि प्रतापगढ़ और दूसरे नजदीकी जिलों से बहुत ज्यादा है। बजट को जो मैंने देखा तो अब भी पश्चिमी जिलों की तरक्की के लिये ही रुपया दिया गया है, पूर्वी जिलों, खासकर सुल्तानपुर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मिसाल के तौर पर शिक्षा के सम्बन्ध में कई जगह पर बिल्डिंग ग्रान्ट दी गई है, होस्टल ग्रान्ट दी गई है और कई जगह पर और दूसरी सुविधायें दी गई हैं लेकिन सुल्तानपुर जिला, जहां पर केवल एक ही लड़कियों का इन्टर कालेज है, उसमें कोई होस्टल या गेम फील्ड नहीं है। उसके वास्ते कोई इन्तजाम नहीं किया गया है।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, लाखों एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है। ट्यूबवेल्स का कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। 1300 से अधिक ट्यूबवेल रखे गये हैं लेकिन सुल्तानपुर के लिये एक भी ट्यूबवेल का इन्तजाम नहीं किया गया है। इसी प्रकार से गोमती नदी सुल्तानपुर को दो हिस्सों में तक्सीम करती है, जिस के अनेक घाट हैं जहां पर हजारों आदमी रोज उतरते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर कोई पुल का इन्तजाम नहीं किया गया है। पुलों का इन्तजाम भी पश्चिमी जिलों के लिए ही किया है। पूर्वी जिलों के लिए पुलों का कोई प्रबन्ध नहीं है।···(**व्यवधान**)···

मैं खास तौर पर ट्यूबवेल्स के लिए जोर देना चाहता हूं क्योंकि सुल्तानपुर डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट है यानी वहां पर इतना गल्ला नहीं पैदा होता जो कि वहां के निवासियों के लिये काफी हो। ऐसी हालत में वहां पर खास तौर से ट्यूबवेल्स का इन्तजाम किया जाना चाहिये। इसके अलावा वहां पर गोमती नदी की वजह से फ्लड्स बाढ़ आया करते है जिसमें सैकड़ों मौजे डूब जाते हैं और किसान बरबाद हो जाते हैं। फ्लड कन्ट्रोल के सिलसिले में भी वहां पर कोई इन्तजाम नहीं किया गया है।

जब पहले आपने मुझे बोलने का मौका दिया था तब मैंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट के बारे में भी कहा था। मैं आज फिर उसको दोहराना चाहता हूं। सुल्तानपुर में कोई भी कल कारखाने नहीं हैं। गल्ला तो वहां पर काफी पैदा होता है लेकिन वह पूरा नहीं पड़ता है। वहां पर गन्ना भी काफी पैदा होता है लेकिन उस गन्ने को किसान फैजाबाद, शाहगंज जिला जौनपुर की मिल में ले जाते हैं, जहां पर वह दस दिन, 15 दिन पड़े रहते हैं, कोई उस को पूछने वाला नहीं होता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जहां पश्चिमी जिलों के लिये इतना इन्तजाम किया जाता है वहां पूर्वी जिलों के लिए भी कुछ किया जाए। खासकर सुल्तानपुर जिला जो न पश्चिमी है और न पूर्वी है, उसकी तरफ खास तवज्जह की जाये। हमारे उप-मन्त्री जी जो यहां पर बैठे हुए हैं वह सुल्तानपुर गये हैं, वहां महीनों रहे हैं, और उन्होंने वहां की हालत को अच्छी तरह से देखा है। अभी थोड़े दिन हुए जब भी वे तशरीफ ले गये थे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस जिले की तरक्की के लिये वे खास तौर से ध्यान दें।

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश की और विशेष कर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों, पहाड़ी क्षेत्रों तो बुन्देलखंड आदि क्षेत्रों की घोर उपेक्षा की गई है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में पटेल कमिशन बना था लेकिन उस पटेल आयोग की रिपोर्ट आज तक अमल में नहीं लाई गई है।

अभी तक हमारे शासन का आधार

[श्री चन्दिका प्रसाद]

सोशलिस्टिक पैट्रन आफ़ सोसाइटी पर आधारित है लेकिन बजट को देखने से उसका समावेश नहीं होता मालूम होता है। हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने इस चीज को स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका एक पिछड़ा हुआ और गरीब इलाका है लेकिन वह जो उन्होंने कहा कि यह मामला वहां की असेम्बली में उठाना चाहिये तो मैं कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन है और इसलिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की जो हमारी समस्याएं हैं वह केन्द्र की समस्याएं हैं और मैं चाहूँगा कि वह इन सारी चीजों और समस्याओं को देखें और उनका मार्गदर्शन करें। इस बारे में वह एक मार्गदर्शन दें और ऐसे पिछड़े और अविकसित इलाकों के लिए बजट में उपयुक्त प्राविजन करें ताकि आगे आने वाली वहां की प्रजातंत्रीय सरकार उस धुरी पर और उस आधार पर चले। ऐसा होने से ही जो हमारा समाजवाद का उद्देश्य है वह पूरा हो सकेगा।

हमारे यहां बलिया की रसड़ा तहसील में एक चीनी कारखाने की नींव पिछले 13 साल से पड़ी हुई है लेकिन वह शुगर फैक्टरी आज तक चल नहीं सकी है। आज तक उसका श्रीगणेश नहीं हुआ है उसकी उपेक्षा की गई है।

इसी तरह से आप देखेंगे कि हरिजनों के लिए बजट में मकानों के लिए जो प्राविजन किया गया है वह कबालटाउंस के लिये ही किया गया है। गांवों में हरिजनों के वास्ते मकान बनाने का प्राविजन इस में नहीं है। कबालटाउंस में हरिजनों के मकान बनाने के वास्ते बजट में जो प्राविजन किया गया है उस से हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप वहां मकान बनवायें लेकिन कम से कम गांवों में भी तो हरिजनों के वास्ते मकान बनाने की योजना रखनी चाहिये क्योंकि उसके बगैर सोशलिस्टिक पैट्रन वाली बात हमारी लागू नहीं होती है। अगर कबालटाउंस में मकान बनाने हैं तो हमें उससे कोई विरोध नहीं है लेकिन यह गोरखपुर को भी उन बड़े टाउंस में आपको शामिल कर लेना चाहिए।

जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार होती थी तो वह हरिजनों को मकान बनाने के लिए सहायता देती थी लेकिन संविद सरकार ने उसे बंद कर दिया है। हरिजनों की ओर उन्होंने उपेक्षा दिखलाई हैं। आज इस बजट में उसका प्राविजन नहीं है। मैं चाहूँगा कि हमारी सरकार जो कि देश को समाजवादी व्यवस्था की तरफ ले जाने के लिये बचनवद्ध है वह हरिजनों की सहायता करे। बजट में उसके लिए आवश्यक व्यवस्था करे।

हमने अपने यहां के रेलवे क्रौसिंग का जिक्र किया था। उसके बारे में मैंने रेलवे मन्त्री महोदय को लिखा भी था और चीफ़ सेक्रेटरी ने हमें बतलाया था कि हमने उसको मंजूर कर लिया है लेकिन इस बजट में उसका जिक्र नहीं है। पी० डबलू० डी०, सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक जगह उस रामपुर के रेलवे क्रौसिंग का तो जिक्र है लेकिन बलिया के इस रेलवे क्रासिंग का जिक्र कहीं नहीं हैं। इसी तरह से मांझी के पुल के सम्बन्ध में भी सर्वे हो गया है और पौनटून ब्रिज जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलाता है उसका इस बजट में कहीं जिक्र नहीं है।

एजुकेशन का जहां तक सवाल है उसके बारे में मुझे कहना है कि हमारा इलाका लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे यहां उनके लिए 2,3 इंटर कालिज हैं लेकिन लड़कियों के लिये पूर्वी जिलों में कोई डिग्री कालिज नहीं है। लड़कियों के लिये उस इलाके में डिग्री कालिज खोलने के लिए बजट में आवश्यक प्राविजन करना चाहिये।

जहां तक ला एंड आर्डर का सवाल है गांवों के अन्दर गांव समाज की तरफ़ से हरिजनों की आबादी के लिए जमीन छूटी हुई है लेकिन उस पर बड़े लोग कब्जा किये हुए हैं। उनको

कब्जे से हरिजनों की जमीनें निकलवाई जायं और हरिजनों के लिए मकान बनाने के वास्ते जमीन की व्यवस्था करनी चाहिये।

जहां तक हरिजनों के लिये सर्विसेज में रिजरवेशन है वह कोटा उनको पूरा नहीं दिया गया है और हरिजनों को सर्विसेज में उनका पूरा रिजरवेशन का कोटा मिल सके इस के लिए सख्ती से इस पर पालन किया जाय।

श्रीमन, हमारे यहां फ्लड कंट्रोल के कामों के लिए बजट में जो पैसा रक्खा गया है वह बिल्कुल नाकाफी है और वह नाम मात्र के लिए है। इस रकम को बढ़ाया जाय। हमारे यहां फ्लड से हजारों मकानों गिर गये हैं और उजड़ गये हैं। जरूरत इस बात की है कि उन उजड़े हुए लोगों को बसाया जाय। आप भले ही बड़े-बड़े टाउंस में मकान बनायें लेकिन जिन गरीब लोगों के मकान गंगा और घाघरा के पास बने हुए थे और वह बाढ़ के कारण ध्वस्त हो चुके हैं और उनके लिए कोई प्राविजन नही किया गया है। इसलिए उन के वास्ते रकम रक्खी जाय। गंगा और घाघरा की बाढ़ से गाजीपुर, बलिया आदि में गरीब लोगों के जो वहां पर मकान ध्वस्त हो चुके हैं उन के लिए मकान बनाने का माकूल प्राविजन इस बजट में अवश्य रक्खा जाय।

हमारे यहां बलिया के बिलहैरी ब्लाक में गवर्नमेन्ट रिटायर बांध बनाने जा रही है जिससे कि किसानों की जमीन निकलेगी और पैसा भी उस में लगेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि बलिया बेरिया बांध और बेलसरा श्रीनगर बांध जो पहले से मौजूद हैं उन्हीं को मजबूत किया जाये और वह रिटायर बांध न बनाया जाय।

जहां तक राजकीय कर्मचारियों का सवाल है उनको लेकर संविद सरकार के समय में जो झगड़ा चल रहा था आज राष्ट्रपति के शासन काल में वह झगड़ा करीब-करीब सुनने को नहीं मिल रहा हैं लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि सरकार को राजकीय कर्मचारियों की जो भी उचित व जायज मांगें और समस्यायें हैं उन्हें पूरा करना और हल करना चाहिए। विशेष कर महिला कर्मचारी जो कि सर्विस से निकाल दी गई हैं उन को तो अवश्य काम पर लगा लेना चाहिए।

अन्त में मैं आप से कहना चाहूँगा कि हमें देश में जो समाजवादी समाज का ढांचा स्थापित करना है उसके लिए हमें बजट में काफी परिवर्तन करना होगा ताकि जो उपेक्षित वर्ग और इलाका अभी तक है उसका भी विकास हो सके। गांवों में विकास कार्य किया जाय और कम से कम गांवों में यह विद्युतीकरण की स्कीम लागू कर दी जाय। किसानों को बिजली में छूट दी जाय। ट्यूबवेल के लिए उन्हें दी जाने वाली बिजली में छूट दी जाय। पहले जो उन्हें छूट मिलती थी वह अभी नहीं मिल रही हैं। संविद सरकार ने उसको बन्द कर दिया था। मैं चाहता हूं कि उस छूट को पुनः चालू किया जाय। इसी तरह से ट्रैक्टर पम्पिंग सैट पर जो पहले छूट मिलती थी, सबसिडी मिलती थी और वह बंद हो गई थी उसे फिर से चालू किया जाय। मैं चाहूँगा कि उसका प्राविजन किया जाय।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Srinibas Misra.

AN HON. MEMBER : He is not from UP.

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : What my hon. friend says about my not belonging to UP is correct. We will have to remember under what circumstances this budget has come before the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I agree with you.

SHRI SRINIBAS MISRA : It is a question of my speaking out my mind. After going through this budget we have got this opportunity of seeing through the hollowness of the administration in UP. To outsiders, to those who do not belong to UP, there was some sort of misconception in

[Shri Srinibas Misra]

some quarters that because this sprawling State with teeming millions is producing Prme Minister after Prime Minister, it must be having perhaps satisfaction in its budget and its administration.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Not only Prime Ministers but Finance Minister also.

SHRI SRINIBAS MISRA : Yes, so many Ministers from there.

Shri K. C. Pant : Not too many.

SHRI SRINIBAS MISRA : one of us had that impression. But after going through the budget we see that the State is administered in the most miserable manner. The *per capita* income of this State is almost equal to the *per capita* income of the poorest State from which I come, namely, Orissa. The idea that we had about this State, which contains the two sacred rivers, the Ganga and the Yamuna, with so many sacred places, which was a rosy idea, that has been now set at rest after we had an opportunity of going through this budget :

The industerial development of this sprawling State with so many millions is very poor, as you will see from the budget itself. Although the rural population accounts for 87 per cent, the income from agriculture is very unsatisfactory. If you have travelled in that State, you may have seen that for every five miles there is taxation for road. As soon as there is a small town you are stopped and a tax is levied. But what is the condition of the roads ? The condition of the road is miserable. It is worse than no road. They are not well-maintained.

The agricultural programme is in such a state that it is reported that the agricultural universities, which are in charge of selling improved seeds, are selling old seeds which are two years old. This is the performance of dqucational institutions which are entrusted with this task. So, what is the use of having these top people from that State, when the poor people of that State do not get any benefits and they are not treated well ?

SHRI K. C. PANT : We look to the interests of others first.

SHRI SRINIBAS MISRA : Good. My hon. friend is perhaps complacent of feeling that he is showing self-sacrifice. But it is not self-sacrifice. You are shining with borrowed glories of the tax-papers there. You are not looking to their interests. If you look at the bottom, it is the darkest possible in the whole country.

Everybody knows that there are vast tracks of forest land in U. P. What is becoming of it ? Is it really being utilized as it should have been ? It has not been utilized at all. Then, hill streams which would generate water power without any expenditure have not been utilized. And the way law and order has been tackled has been dealt with by many hon. Members of this House. From this side to that side, from the west to the east, everywhere there is the question of law and order problem.

The hon. Minister will say that some people are responsible for it ; but who is is more responsible than the Government itself for the instability in law and order ? The policy of the Governmnet is more responsible than people or parties, whoever they may be.

Regarding labour, wages in UP are perhaps the lowest. Only in factory areas, were there is always agitation because of recession, retrenchment and unemployment, you will find that some payment is being made. But in other areas, where there are small factories or where only some labourers are employed, the wage standard is very, very low.

Going into the Budget itself, the Budget consists of revenue income of Rs. 356 crores although the total receipt including loan, deposit etc. is Rs. 1,110 crores. The *per capita* revenue receipt will thus be Rs. 44 only. What is the amount of the debt ? The *per capita* borrowing is Rs. 100. Although the revenue *per capita* is Rs. 44, the borrowing now standing to the debit of this Government is Rs. 100 per head including women, children, the unemployed and everybody. That is how the Budget is being balanced.

Of course, when the Budget has been presented by the Union Finance Minister and the Deputy Prime Minister, it bears some stamp of his patchwork here and some patchwork there. No fundamental

orientation of the Budget is there; no fundamental policy has been changed to see that the Budget balances itself and also improves the living conditions of the people and the condition of roads, drainage, food etc.

Then, administrative services take 4 per cent of the total income including loans, grants and everything. Social and developmental services together account for 13 per cent. How can the State expect to improve when only 13 per cent is being spent on developmental and social services ? For the development only 13 per cent is given and the rest is going down the drain, down the Yamuna and the Ganges and it does not make any development.

Then, for irrigation and power the capital outaly and the revenue expenses are only 2 per cent ! Although there is a cry from this end to the other that there must be more development projects for irrigation and cheap electricity, only 2 per cent is being spent on that even in this Budget. Our Deputy Prime Minister will say that he is trying to do his best. He will not concede any demand from this side. He will not have any change in his attitude. He thinks that he has to show that he is an iron man of adamantine grit and even if he concedes a reasonable demand, he will be lowered in the estimation of the public. That is why he does not want to change.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Already you have depicted a very depressing picture. Leave something for others to say.

SHRI UMANATH (Pudakkottai) : If there is not something else, what can he do ?

SHRI SRINIBAS MISRA : In this state of affairs, when the Budget is presented on behalf of UP by the Finance Minister of the Union, it should have been oriented in such a way that this huge population of eight crores and the area of 295,000 square kilometres at least would have got some hope of developing within the coming four or five years. Some steps should have been taken. They have not been taken.

So, after reading it as an outsider, I am thankful to the depressing, unwarranted and undesirable circumstances that brought this Budget before this House. At least those of us who did not know the details about this administration are thankful that we have got an opportunity of looking into it. Now we hope that the Government would try at least to administer whatever has been presented in the Budget; whatever fund they want should be administered well so thot nothing goes waste and the people benefit out of this.

श्री शम्भू नाथ (सैंदपुर) : उपाध्यक्ष, महोदय, उत्तर प्रदेश सारे भारत में कितना विशाल राज्य है यह सबको मालूम है, और इसकी आबादी कितनी ज्यादा है, अर्थात 9 करोड़ यह भी सबको मालूम है । मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे देश में जितनी भी समस्यायें हैं, अगर देखा जाये तो वह सारी की सारी उत्तर प्रदेश में मिलेगी ।

उत्तर प्रदेश का यह बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि साल भर तक जो सरकार वहां रही उससे जनता को कोई राहत नहीं मिली । जनता यह महसूस ही नहीं करती थी कि वहां पर साल भर तक जनता की सरकार बनी या नहीं बनी उसके बाद खिलौना बिगड़ गया और प्रेजिडेंट्स रूल आया । यह भी हमारे उत्तर प्रदेश के लिये कोई मौजू चीज नहीं है क्योंकि यह प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है । परन्तु चूंकि हमारे प्रदेश में आज राष्ट्रपति शासन है और यहां पर प्रदेश का बजट आया है, इसलिये हमको कहने का अवसर मिला है। मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से बतलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की जो दयनीय दशा यहां पर माननीय सदस्यों ने बतलाई है, अगर उस पर तवज्जह नहीं दी गई तो उस का परिणाम क्या होगा, यह हम सबको भली-भांति मालूम है ।

जहां तक खेती का सवाल है, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां 95 प्रतिशत अन-एकानमिक होल्डिंग्स हैं, केवल 5 प्रतिशत ऐसी होल्डिंग्स हैं जिन को एकानमिक कहा जा सकता है । इसलिए खेती की विशेष रुप से तरक्की के लिये जहां उनकी सिंचाई की व्यवस्था करने की आवश्यकता है वहां उसके साथ साथ फर्टिला-

[श्री शम्भू नाथ]

इजर और सीड्स की भी आवश्यकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के सारे के सारे लोग खेती पर मुन्हसर करते हैं। इसके साथ ही इंडस्ट्री की भी आवश्यकता है।

मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि हांलाकि हमारी सरकार की इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पालिसी यह रही है कि जो अनडेवेलप्ड एरियाज हैं वहां पर इंडस्ट्री खोली जायें, लेकिन देखने से मालूम होता है, अगर उत्तर प्रदेश को ही लिया जाये, कि कानपुर, मेरठ आदि बड़े बड़े शहरों में ही कारखाने हैं, और और भी खुलते जा रहे हैं। जो अनडेवेलप्ड एरियाज हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है, और गरीब हैं, वहां पर इंडस्ट्रीज का कोई प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है। मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस पालिसी को जो उत्तर प्रदेश की अनडेवेलप्ड एरियाज पड़ी हैं वहां पर लागू किया जाये।

पूर्वी जिलों में हर जगह इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाई गई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनी हुई हैं, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, बनारस, सब जगह लेकिन वहां आज तक इंडस्ट्री के लिये कुछ नहीं हो रहा हैं। वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगे खड़ी कर दी गई है, लेकिन सब की सब वैसे ही पड़ी हैं। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं, कि आखिर आप ने वहां यह बिल्डिंगस खड़ी की हैं तो किस मकसद से ? आप उस मकसद को पूरा कीजिये।

जहां तक हरिजनों का ताल्लुक है, जमीन आप दे नहीं सकते, यह तय है। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, और अगर है भी तो वह ऐसे लोगों को मिली हुई है कि उनसे निकल पाने की सम्भावना नहीं दिखलाई पड़ रही है। लेकिन मैं वित्त मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि आखिर हरिजनों की जीविका के बारे में भी तो आप को सोचना है कि उनको कैसे मिलेगी, उनका उत्थान कैसे होगा ? मैं तो कहना चाहता हूं कि जहां पर आप हरिजन बस्तियों को पक्का करना चाहते हैं, वहां आप करें, लेकिन वहां पर आप कुछ स्माल स्केल इंडस्ट्री कायम करें। वहां पर गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक सुपरवाइजर रक्खे और वह देखे कि वह इंडस्ट्री ठीक गति से चल रही है और उससे उनका उत्थान हो रहा है। यह जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो छोटी मोटी ग्रांट देने से हरिजनों का उत्थान नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। अखबारों में हमने देखा है कि अब उत्तर प्रदेश के लिए एक कमेटी बनाई गई है और गवर्नर साहब ने उस कमेटी को बनाया है। उसमें सात आई० सी० एस० के लोग हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लिए एक नान-आफिशल कमेटी होनी चाहिये। जिसमें कुछ एम० पी० हों, कुछ अफसर हों और कुछ नान-आफिशल हों। अगर इस तरह की कमेटी बनाई गई तो जनता की आवाज को वहां रखा जा सकता है।

आप चौथे प्लान को भी फाइनेलाइज करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी प्लान में प्राथमिकतायें निर्धारित की जायेंगी। इस वक्त वहाँ पर लोकप्रिय शासन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जितने एम० पीज० हैं कम से कम उनकी राय लेकर तो उत्तर प्रदेश के लिए जो प्लान बने, उसको फाइनेलाइज किया जाए। साल भर जनता अपनी बात अपने प्रतिनिधियों के जरिये नहीं कह सकेगी और न ही पिछले साल भर से वह कह पाई है। इस वास्ते मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जितने एम० पीज० हैं उनकी राय प्लान को फाइनलाइज करने से पहले ली जानी चाहिये।

गाज़ीपुर, बनानस और जौनपुर का मैं यहां प्रतिनिधित्व करता हूँ। पटेल आयोग ने गाजीपुर में गंगा पर एक पुल बनाने की बात कही थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस सिफारिश की ओर आज तक भी ध्यान नहीं दिया गया है।

मुझे पता चला है कि बक्सर में आप उसको बनाने जा रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी जिले है वहां पर आप दो पुल बनाने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि वहां सड़कें आदि सब कुछ है लेकिन यह जो पिछड़ा हुआ प्रदेश है और जहां गंगा नदी एक जिले को दो भागों में बांटती है और जहां के लिए पुल की सिफारिश भी पटेल आयोग कर चुका है, उस पर तवज्जह नहीं दी जा रही है। वहां की जनता की मांग बहुत दिनों से इसके बारे में चली आ रही है और मैं प्रार्थना करता हूं कि इस मांग को पूरा करने की तरफ ध्यान दिया जाए।

श्री रामजी राम (अकबरपुर) :

इनके आंकड़ों में उलझाया गया हूं
थपकियां दे कर सुलाया गया हूं
खिलोने दे कर बहलाया गया हूं।

उत्तर प्रदेश का बजट 7 अरब 32 करोड़ 44 लाख 35 हजार का है। इसमें से कुल वेतन महंगाई भत्ता के अलावा ठेकेदारों की कमीशन घूस, कमीशन तथा कागजी स्कीमें दिखा कर एक तिहाई से ज्यादा रकम निरंकुश नौकरशाहों की जेबों में चली जाएगी। इस रकम को उनकी जेबों में जाने से बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जाने चाहिये।

खेती वहां की जनता का मुख्य धंधा है। खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था, उत्तम बीजों और खादों आदि का होना बहुत जरूरी है। लेकिन इन चीजों को किसानों को उपलब्ध करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आम तौर पर पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी बजट तैयार किया गया हैं और इन बातों की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। छोटी छोटी सिंचाई स्कीमों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। खेतीहर मजदूर जो हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन देने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। बड़े बड़े काश्तकार जो हैं वे ही अपने खेतों की सिंचाई बारबार करते रहते हैं। नहरों और ट्यूबेल नालियों से जो थोड़ा बहुत सिंचाई का पानी मिलता भी है, उसको बीच में ही बन्द कर दिया जाता है और आम लोगों को सिंचाई के लिए पानी भी नहीं मिल पाता है। मैं चाहता हूं कि सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

समाजवादी समाज के लिए समाज की जो रीढ़ है और शोषकों के शोषण से जो लोग कुचल दिये गये हैं उनके उत्थान में ही बजट की उपयोगिता होती है। ये कौन लोग हैं ? ये हैं, अछूत, खेत मजदूर, मिल मजदूर, फुटकर मजदूर, पेशेवर गृह, उद्योग मजदूर, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्प संख्यक। उनके काम को महत्व का काम समझ जाना चाहिये और इन लोगों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों में इनके काम का महत्व का वर्णन किया जाना चाहिये। साथ ही इनके वर्ग और जाति के समाज सुधारकों तथा धार्मिक रहनुमाओं को किताबों में विशेष स्थान दिया जाना चाहिये। मैं यह भी चाहता हूं कि हिन्दी के साथ साथ उर्दू भाषा की पढ़ाई भी स्कूलों में चालू की जानी चाहिये। साम्प्रदायिक दंगों को सख्ती से दबाया जाना चाहिये। सरकारी नौकरियों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना कर हरिजनों और मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये।

आप यह भी देखें कि हरिजनों को दी जाने वाली रकम में से डेढ़ करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में पिछले साल लैप्स हो गया, उसका इस्तेमाल नहीं होने दिया गया। इस वर्ष अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिये 4 करोड़ 31 लाख 61 हजार 6 सौ रुपया रखा गया है। इसके मुकाबले में आप देखें कि पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग के लिए 5 करोड़ 27 लाख 5 हजार 9 सौ रुपया रखा गया है। इसका साफ मतलब यह होता है कि अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का मूल्य जानवरों

[श्री रामजो राम]

और मछलियों से भी कम आंका गया है। यह गम्भीर भेदभाव असह्य है।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, गांव में प्राइमरी स्कूलों की इमारतें एक खुली हुई मचान होती हैं जहां बच्चों को जाड़े में सर्दी, गर्मी में लू और बरसात में वर्षा की बौछारों का मुकाबला करना पड़ता है। वे अपने बचाव के लिए इधर-उधर भागते हैं। उनके लिए आपको इमारतों का जल्द प्रबन्ध करना चाहिये।

जहां तक दाखिलों का सम्बन्ध है हरिजन तथा मजदूरों के बच्चों को दाखिले में अंक श्रेणी तथा उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का बन्धन हटा देना चाहिये। यदि जुलाई से स्कूलों, कालेजों और यूनिवर्सिटियों में हरिजनों और मजदूरों के बच्चों के दाखिले का प्रबन्ध नहीं किया गया तो जो स्कूल उनको दाखिल नहीं करते हैं, उनको सहायता देना तत्काल बन्द कर दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो स्कूल सरकारी नहीं हैं और जो किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष की आय के साधन हैं और सरकारी सहायता प्राप्त हैं, उनकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। उनमें से अधिकतर स्कूल ऐसे हैं जहां पर दस्तखतों से कम वेतन मास्टरों को दिया जाता है। इस चीज को रोका जाना चाहिये। जिला फैजाबाद में गोसाई गंज, अकबरपुर, जलालपुर, टांडा आदि में जो कालेज हैं वहां हरिजनों के लिए बोर्डिंग हाउस इसी वर्ष में बनवाये जाने चाहिये। वहां पर उनके रहने की आज कोई व्यवस्था नहीं है। यह जल्द ही की जानी चाहिये। साथ साथ मैं यह भी मांग करता हूं कि उस इलाके में औद्योगिक विद्यालय खोले जाने चाहिये।

बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि मेरे जिले की ओर आपका ध्यान आज तक नहीं गया है। वहां पर सड़कों की बहुत बुरी हालत है। जो शाही सड़कें हैं, जो महत्वपूर्ण सड़कें है वे भी वहां बेकार पड़ी हुई है। जिला बाराबंकी से फैजाबाद होकर, मया से महबूबगंज, इल्तफात गंज, टांडा, हंसवर होकर आजमगढ़, जिला को एक सड़क मिलाती है जो घाघरा नदी के समान्तर है। यह सामरिक सड़क बेकार पड़ी हुई है। इसको तत्काल ठीक किया जाना चाहिये। घाघरा नदी के दूसरी तरफ बस्ती जिला से होकर टांडा से बरियावन, सुल्तानपुर, जलालपुर सरहरपुर होकर जौनपुर को एक सड़क मिलाती है। इसको भी ठीक किया जाना चाहिये। महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान गोविन्द साहब से जलालपुर, सिकंदरपुर, अकबरपुर, पहतीपुर, महरुआ होकर सुल्तानपुर जिला को एक सड़क जाती है। इसकी तरफ भी आपका ध्यान अवश्य जाना चाहिये। एक चौथी सड़क गोसाई गंज के करीब पूर्व से मिझौड़ा, महरुआ दोस्तपुर, होकर सुल्तानपुर जिले को मिलाती हैं। इस पर महड़ा बिसुई पर पुल का निर्माण होना बहुत जरूरी है। जिला के महत्वपूर्ण केन्द्र टांडा जलालपुर मिझौड़ा हैं जहां नदियों पर पुल नहीं हैं। टांडा में घाघरा पर पीपे का पुल और उक्त स्थानों पर पुलों का बनाना बहुत ही जरूरी है।

जहां तक औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है, उसकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये। यह अनिवार्य है आजादी के बीस साल से कोई भी कारखाना जिला फैजाबाद में नहीं खड़ा किया गया है। पूर्वी इलाके में खास तौर पर एक कारखाना लोगों में व्याप्त बेकारी को दूर करने के लिए खड़ा किया जाना चाहिये।

हड्डी की खाद रजिस्टर्ड सोसाइटी के लिए राम शंकर, अकबरपुर वाले हरिजन को, ऊन के कताई बुनाई के काम के लिए बदलीदास, मसोधा को रबड़ चूड़ी के लिए, जो कि जलालपुर का हैं, कोई सहायता नहीं दी गई है क्योंकि ये हरिजन हैं। इसके विपरीत आप देखें कि उच्च वर्ग के प्रमुख कांग्रेसी जो मध्यावधि चुनाव में अकबरपुर से उम्मीदवार हैं, उन्हें

अल्यूमीनियम बर्तन के कारखाने के लिए बड़ी रकम दे दी गई है। इतनी रकम देने के बावजूद भी अब तक वह कारखाना कहीं जमीन पर नहीं है। उस कारखाने को आज तक भी स्थापित नहीं किया गया है।

समाज कल्याण के कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है। नसबन्दी उन लोगों की कर दी गई है जो बेकार थे और निर्धन थे, और जो अब व्यवसाय मात्र रह गया है। बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम 1929 में बना था। उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। इस अधिनियम को महत्व दिया जाना चाहिए और इस पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिये। बाल विवाहको एक कागनिजेबल आफेंस करार दिया जाना चाहिये।

गांवों में खेत मजदूरों को; हरिजनों को तथा शहरों में मजदूरों और हरिजनों को मकान बनाने के लिए जमीन और रुपया सहायता के रूप में दिया जाना चाहिये।

चकबन्दी पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिये। हरिजन आवादी के लिये घूर खलिहान आदि जगहों को खाली कराया जाना चाहिये और उन्हें परिवार के सदस्यों के अनुसार आबादी की जमीनें दी जानी चाहिये।

उत्तर प्रदेश में तीन साल के अन्दर ग्राम समाज की जमीनें 44 जिलों में जिसका कुल रकबा 1 लाख 25 हजार 825 एकड़ है, गलत और बड़े आदमियों को दी गई हैं। जमींदारी टूटने के बाद से पता नहीं कितनी जमीनें गलत लोगों को दी गई हैं जब कि वे जमीनें भूमिहीन खेत मजदूरों तथा हरिजनों को ही दी जानी चाहिये थीं। ग्राम समाज एक्ट में संशोधन करके आठ प्रतिशत के बजाय चार प्रतिशत ग्राम सभा की जमीनें सुरक्षित रखी जानी चाहिये और आबादी की संख्या भी उसमें शामिल की जानी चाहिये और झील, ताल आदि पानी वाली जमीनें जो खेती लायक हैं उन्हें खेती वाली जमीनों में शामिल किया जाना चाहिये।

आप यह भी देखें कि जिन लोगों को फांसी की सजायें दी जाती हैं उन में से राष्ट्रपति महोदय जिन लोगों को क्षमादान देते हैं, उन लोगों में हरिजन नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? मैं चाहता हूँ कि इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

आय कर लिस्ट से साफ़ जाहिर है कि हरिजनों को कोई कोटा परमिट लाइसेंस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का नहीं दिया जाता है। फिर आप यह भी देखें कि पिछड़ा वर्ग कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों है? मरकेवट, कहार, कोहान, लोनिया, मोड़िया, मल्लाह, कुजड़ा, धुनिया, धरकार, जोलाहा आदि जो लोग हैं उनकी हालात ज्यों की त्यों है। हैंडलूम सोसाइटी से बुनकर भाइयों को कोई लाभ नहीं हुआ है। उसका रिबेट का पैसा आफिसर तथा बड़े नेता खा जाते हैं। बानी बुनने वालों को मजदूरी तक नहीं मिली है वे आज बेकार पड़े हैं। यदि इन लोगों के हित में कोई क्रान्तिकारी कदम सरकार की तरफ से न उठाया गया तो उन की तरफ से जबर्दस्त क्रान्ति होने की सम्भावना बलवती हो जायेगी और उस क्रान्ति की पूरी जिम्मेदारी शासक वर्ग, नौहरशाह लोगों और कास्ट हिन्दूज तथा देश के सरमायादारों पर होगी।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य, श्री मिश्र, जो उड़ीसा से आये हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रहे थे। सचमुच उन्होंने यह सही कहा है कि उत्तर प्रदेश को खिलौना मिल जाता है और वहां के लोग वह खिलौना देख कर खुश होते रहते हैं, लेकिन जहां तक उस प्रदेश के उत्थान का सवाल है, वह सब से पिछड़ा और गरीब हैं। मैं केवल एक ही विषय उठाना चाहूंगा और मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय उस की ओर ध्यान दें।

उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने एक सप्लीमेन्टरी चुनाव घोषणापत्र जारी किया, जिस में

[श्री रामसेवक यादव]

कहा गया था कि अगर वहां की सरकार कांग्रेस के हाथ में आई, तो अलाभकर जोत से लगान माफ कर दिया जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल के शासन का अर्थ है केन्द्र का शासन और केन्द्र के शासन का अर्थ हो जाता है कांग्रेस का शासन। मुझे दुख है कि इस घोषणा पत्र की ओर मंत्री महोदय ने ध्यान नहीं दिया है और उन्होंने अलाभकर जोत से लगान खत्म नहीं किया है, जबकि अपने चुनावी घोषणापत्र के जरिये उन्होंने पूरे प्रदेश की जनता को यह आश्वासन दिया था। संयुक्त विधायक दल की सरकार ने सवा छः एकड़ के किसानों का आधा मालिया खत्म करने का कानून पेश किया था। अगर मन्त्री महोदय कम से कम इतना कर देते तो मैं समझता कि उत्तर प्रदेश की जनता की इच्छा की पूर्ति की गई है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान खेती-लायक बंजर जमीन की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो आज उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रों में पड़ी हुई है और हरिजनों तथा बेकार भूमिहीनों को नहीं मिल रही है। यह जमीन गोंडा, बहराइच, खीरीमपुर, पीलीभीत और नैनीताल जिले में है, जहां से मंत्री महोदय आते हैं। नैनीताल की एक तहसील में हालत यह है कि वहां की जमीन बहुत बढ़िया और उपजाऊ है, लेकिन वह वहां के निवासियों, भूमिपुत्रों, को नहीं मिल रही है। वे लोग या तो किसी बड़े घर में बर्तन मलते हैं या पुलिस या फौज में सिपाही बन जाते हैं। जमीन पर बड़े करोड़पति सेठों का कब्जा है, जिनके पास एक-एक हजार एकड़ के फार्म हैं। दूसरे फार्म फौज के बड़े रिटायर्ड अफसरों के कब्जे में हैं। तीसरे फार्म राजनैतिक नेताओं के हैं। इस के अतिरिक्त जो खेती लायक बढ़िया जमीन है, वह जंगल के महकमे के कब्जे में चली गई है।

आज उत्तर प्रदेश में भूमिहीनों की तरफ से एक आन्दोलन चल रहा है। वे लोग चाहते हैं कि उनको जमीन पर बसाया जाये, लेकिन वह जमीन उनको नहीं दी जा रही है। जंगलों में जो जमीन पड़ी हुई है, जो थोड़े समय के लिए दी जाती है, वह भी बड़े-बड़े सेठों और करोड़पतियों को दी जाती है। जब आन्दोलन चलता है, तो सरकारी अफसर गरीबों को बुरी तरह से दबाते हैं, उनके झोपड़ों को जलाते हैं, उन के कपड़ों को जलाते हैं।

खाली नैनीताल में एक हजार एकड़ ले कर डेढ़ हजार एकड़ तक के एक हजार फार्म हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में अन्न-उगाही की योजना चली थी, तो उन्होंने एक छटांक अन्न भी नहीं दिया था।

अन्न समस्या उत्तर प्रदेश की बड़ी जबर्दस्त समस्या है। जब तक उत्तर प्रदेश में पापुलर जनहित की, सरकार नहीं बनती है, तब तक केन्द्रीय सरकार जमीन के मसले को हल करने की कोशिश करे, वर्ना वहां पर आन्दोलन एक विकराल रूप धारण कर लेगा और लोग जबर्दस्ती उस जमीन पर कब्जा कर लेंगे। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कि वहां पर ऐसी स्थिति न पैदा हो, जिस में अमन में खलल पड़े। यह सारी जमीन बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक नेपाल की सीमा पर है। अगर इस बारे में असंतोष बढ़ता है और लोग परेशान होते हैं, तो स्थिति डांवाडोल होगी और देश की सीमाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी। मैंने इस बारे में मंत्री महोदय से बात की थी वह इस समस्या से परिचित होंगे। इस लिए उन्हें इसकी ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिये।

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी होती, अगर उत्तर प्रदेश के बजट पर बहस यहां न होकर लखनऊ विधान सभा में हुई होती।

श्री रामसेवक यादव : आपने नहीं होने दी।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी गुजरीं, जिन में संयुक्त विधायक दल की सरकार टिक नहीं सकी; कुछ आन्तरिक झगड़ों के कारण वह गिरी और आज वह इतिहास की बात हो गई है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इसी वजह से यहां पर बजट पेश हुआ। एक फायदा तो इस बहस का यह जरूर हुआ कि अन्य प्रदेशों के माननीय सदस्यों ने भी उत्तर प्रदेश के मसलों पर अपनी सम्मति दी। श्री मिश्र जैसे माननीय सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के प्रति हमदर्दी जाहिर की। उत्तर प्रदेश के एक रहने वाले की हैसियत से मैं उन को धन्यवाद देता हूं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : लेकिन वह पुराने उत्तर प्रदेश के ही हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वह आज भी यू० पी० के ही हैं। उत्कल प्रदेश उन का है। कल यहां जो बहस हुई, मैं उस में शामिल नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे राज्य सभा में रहना था। इसका मुझे अफसोस है। लेकिन कल जो भी व्याख्यान हुए, मैंने उन सब को पढ़ा और उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी गण यहां आये थे और हमारे जो अधिकारी हैं, माननीय सदस्यों के सुझावों की ओर उन का ध्यान खींचा। मुझे पूरी आशा है कि जो कुछ भी सुझाव यहां पर दिए गये हैं, सम्बन्धित अधिकारी उन पर विचार करेंगे और उनसे लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे।

कई माननीय सदस्यों ने स्थानीय समस्याओं पर प्रकाश डाला है। चूंकि यह एक प्रदेश के बजट पर बहस थी, इस लिए यह स्वाभाविक था कि इसमें स्थानीय मसलों पर भी चर्चा हो। लेकिन अगर मैं व्यौरे से उन के बारे में बताने लगूं, तो बहुत देर लगेगी। मैं यही कह सकता हूं कि जो विकास के कार्य सारे प्रदेश में होंगे, उन्हीं के बातहत ये सब स्थानीय मसले भी हल हो सकते हैं।

बुनियादी सवाल तो यह है कि उत्तर प्रदेश की आवश्यकतायें क्या हैं। यह स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं पर ध्यान देते वक्त उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की ओर ध्यान जाये, वहां के अर्थ-तंत्र में जो अभी विकास की गति नहीं आई है, उस की ओर ध्यान जाये, जो कई क्षेत्रों में प्रदेश पिछड़ा हुआ है, उसकी ओर ध्यान जाये। लेकिन इस सिलसिले में यह कहना कोई गम्भीर बात नहीं है कि चूंकि उत्तर प्रदेश को खिलौना मिल गया, चूंकि प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं, इस लिए उत्तर प्रदेश की प्रगति नहीं हुई। मैं तो यह कहूंगा कि इस से बड़ी तारीफ इस देश के प्रधान मंत्रियों की नहीं हो सकती है कि उत्तर प्रदेश के होते हुए भी उन्होंने विकास के मामले में अन्य प्रदेशों को तरजीह दी। अगर उन्होंने यह किया, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की परम्परा निभाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रान्तीयता से विहीन है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी रह चुकी हैं।

श्री मोलहू प्रसाद : अब किसी और प्रदेश के व्यक्ति को प्रधान मंत्री बनाइये।

श्री रामसेवक यादव : अपने प्रदेश की ओर तवज्जह देने का मतलब प्रान्तीयता नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : खिलौने की बात शायद माननीय सदस्य ने कही थी। इसी लिए उन को क्षोभ रहा है।

श्री मोलहू प्रसाद : अगर प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश के विकास के मार्ग में बाधक हैं, तो किसी और प्रदेश के व्यक्ति को प्रधान मंत्री बना दिया जाये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अगर आप हमारे संसद-सदस्यों को देखें, तो आप पायेंगे कि कई अन्य प्रदेशों के लोग हमारे प्रदेश से यहां चुन कर आए हैं। इस लिए यह तो उत्तर प्रदेश की परम्परा रही है। उत्तर प्रदेश ने सारे देश

[श्री कृष्ण चन्द्रपन्त]

को अपना माना है। आज भी उत्तर प्रदेश चाहे पिछड़ा क्यों न हो, उस को इस बात की खुशी है कि दूसरे प्रान्त आगे बढ़े हुए हैं।

श्री रामसेवक यादव : तो फिर छाती थोड़ी और चौड़ी कीजिए और किसी अन्य प्रदेश के व्यक्ति को प्रधान मंत्री बनाइये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उपाध्यक्ष जी, हर मासले को देखने के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। अगर कुछ प्रान्त आगे बढे हैं, तो कुछ उन से पिछड़े रहेंगे, यह बात लाजमी है, लेकिन हमेशा यह कहा जाय कि दूसरे बढ़े हैं और हम पिछड़े हैं तो यह एक दृष्टिकोण है। अगर आप इस बात की खुशी मनायें कि दूसरे आगे बढ़े हैं तो यह दूसरा दृष्टिकोण है...

15hrs.

SHRI SRINIBAS MISRA : It is not a question of jealousy or rivalry; it is a question of emulation-

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आप लोगों ने फिर ऐसी तुलना क्यों की। मैं तो यही कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की ऐसी परम्परा नहीं है कि दूसरों की उन्नति से वह ईर्ष्या करे।

उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग धन्धों के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगीकरण काफी नहीं हुआ है, हमें इस प्रदेश में उद्योग धन्धों को बढ़ाना है। लेकिन कुछ पुराने उद्योग-धन्धे जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, ये भी आज कल दिक्कत में आये हुए हैं। इन सब मामलों पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना होगा। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि कृषि में उत्तर प्रदेश में तरक्की नहीं हुई है। मुझे जो जानकारी है—मैं अभी हाल में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में घूमा हूँ, ऐसे क्षेत्रों में घूमा हूँ जहां आम तौर पर धान की खेती होती थी, मगर इस साल मैंने देखा—चाहे जौनपुर हो, सुल्तानपुर हो, बनारस हो, आजमगढ़ हो, सब जगह गेहूँ की बहुत अच्छी खेती थी। इसी तरह जो तराई के क्षेत्रों का जिक्र माननीय सदस्य यादव जी ने किया, मैंने देखा कि वहां भी कृषि के क्षेत्र में काफी तरक्की हुई है, उन्नत बीजों का प्रयोग बढ़ा है, सिंचाई के साधन बढ़े हैं और कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है—खास कर पिछले दो वर्षों में। इस के बावजूद भी यह काफी नहीं है और हम को औद्योगीकरण की तरफ बढ़ना है...

श्री रामसेवक यादव : आपका कृषि विद्यालय अपना खर्चा निकाल लेता है ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : इस वर्ष उस ने 50 लाख रुपये का फायदा किया है। आपको यह जानकर खुशी होगी...

श्री रामसेवक यादव : 15 हजार एकड़ जमीन है, आपको पता नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मिश्रा जी ने यहां पर एक बात कही कि बजट का केवल दो तिशत सिंचाई के लिये इस्तेमाल होता है। मैंने अभी आंकड़े मंगाये हैं और मैंने देखा कि माइनर इरिगेशन पर 20 करोड़ रुपये, मेजर इरिगेशन पर 13 करोड़ रुपये, इस तरह से 33 करोड़ रुपये का प्रावीजन इस बजट में है जोकि कुल बजट का 24 प्रतिशत होता है। मैं नहीं जानता उन्होंने अपने आंकड़े कहां से लिये हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के कुछ खास क्षेत्रों के बारे में जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पहाड़ी हिस्से तथा बुन्देलखन्ड शामिल हैं सदन का ध्यान खींचा है। मैं खुद पहाड़ी क्षेत्र से आता हूँ, मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी अच्छी जानकारी है। सुलतानपुर का जिक्र अभी गणपत सहाय जी ने किया, सुलतानपुर से तो मैं एक दफ़ा इलैक्शन हार चुका हूँ, इस से ज्यादा जानकारी और क्या हो

सकती है। मुझे इन क्षेत्रों की व्यक्तिगत रूप से काफी जानकारी है और इस में कोई सन्देह नहीं है कि इन की जो विशेष परिस्थिति है, उन पर ध्यान देना होगा और यहां पर कुछ न कुछ तरक्की के रास्ते अपनाने पड़ेंगे, पहले से भी ज्यादा तेजी से काम करना होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में जो काम हुआ है, उस का थोड़ा सा ब्योरा मैं बाद में दूंगा।

इस में दो राय नहीं हो सकती कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति पर सारे देश की आर्थिक प्रगति कुछ मायनों में निर्भर है। उत्तर प्रदेश को बहुत पीछे नहीं रहने दिया जा सकता। लेकिन प्रश्न यह है कि विकास की गति को कैसे तेज किया जाय, कैसे वहां की आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा किया जाय। पहली बात तो यह है कि इस के लिये यदि हम केन्द्र की सहायता की ओर देखें तो सब से पहले हम को यह देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की ओर से खुद के कितने साधन जुटाये गये हैं। पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश में जितने साधन जुटाये जाने चाहिये थे, वे पूरी तरह से नहीं जुटाये गये, जो लक्ष्य थे, वे पूरे नहीं हुए। पहली पंचवर्षीय योजना में 50 करोड़ रुपये का लक्ष्य था, लेकिन 11 करोड़ रुपया जुटाया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 69 करोड़ रुपये का लक्ष्य था, जिसमें से 31 करोड़ रुपया जुटाया गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना में 109 करोड़ रुपये का लक्ष्य था, जिसमें से 90 करोड़ रुपया जुटाया गया—तो अपने साधनों को जुटाने में प्रदेश की ओर से काफ़ी कमी रही। इसी सन्दर्भ में मैं सदन के सामने कुछ और आंकड़े रखना चाहता हूं। सन 1964-65 में फी व्यक्ति राजस्व राज्य सरकार के करों से 10 रु० था, जब कि अन्य सारे प्रदेशों का एवरेज 16 रु० था। इसी तरह से जो पर-कैपिटा रेवेन्यू है, उस के मुकाबले जो पर-कैपिटा स्टेट टैक्सेज थे, वह भी उत्तर प्रदेश में कम थे। बहरहाल उत्तर प्रदेश को जितने साधन जुटाने चाहिये थे, वे नहीं जुटाये गये और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश कुछ पिछड़ा हुआ है। क्योंकि बिनासाधन जुटाये तरक्की का कोई आसान रास्ता नहीं है, विकास के लिये साधन जुटाने ही होंगे। पिछले 9-10 महीनों में उत्तर प्रदेश में जो संविद सरकार रही, उस ने भी इस की ओर ध्यान नहीं दिया कि साधनों की आवश्यकता विकास के लिये हो सकती है। बल्कि उन्होंने कई ऐसे सुझाव रखे, जिन से कि वे करों में छूट देना चाहते थे, उन्होंने इस के लिये बहुत कोशिश की और यहां तक कि कुछ करों में छूट भी दी। यह ध्यान नहीं दिया कि करों की छूट के साथ साथ यदि साधन नहीं जुटाये गये, तो उस से विकास के कार्य की गति घटती है। उस से प्रदेश की जो बड़ी समस्यायें हैं उन के लिये साधन नहीं जुटाये जा सकेंगे। इस ओर उन्होंने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।

अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है, उस की ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान खींचना चाहता हूं। यह तो कोई नहीं कह सकता कि काफी हुआ है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि बिलकुल नहीं हुआ है। जो कुछ थोड़ा बहुत हुआ है, वह यह हुआ है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये विशेष तौर पर कुछ सहायता दी गई थी। अभी यहां पर पाटिल कमीशन का जिक्र हुआ, उस ने अपनी कुछ सिफारिशें दी थीं। उस के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिलों - देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़—को पहले छांटा गया। उस के बाद राज्य सरकार के कहने पर दो जिले बलिया और बस्ती को उस में और जोड़ दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के आखरी वर्ष में इन के लिये 8.5 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। चौथी पंच वर्षीय योजना में इन पूर्वी जिलों के लिये अलग से सहायता नहीं रखी गई है लेकिन राज्य सरकार की जो योजना बनेगी उस का एक हिस्सा इन क्षेत्रों के लिये होगा। मैं यह बात इस लिये कहता हूं कि जब चौथी पंच वर्षीय योजना तैयार होगी, तब इस बात पर ध्यान दिया जायगा कि जो विशेष पिछड़े हुए

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

इलाके किसी भी प्रान्त में हैं, उन के विकास के लिये प्रान्त को कितने साधनों की आवश्यकता होगी।

पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्र की तरफ़ से उत्तर प्रदेश में शायद एक भी कारखाना नहीं लगा, लेकिन तीसरी पंच वर्षीय योजना में कुछ कारखाने लगे हैं। हरिद्वार ऋषिकेश, गोरखपुर और अब कानपुर में निजी क्षेत्र में एक उर्वरक का कारखाना लगने जा रहा है। रेल्वे मन्त्रालय ने भी वाराणसी में अपना डीजल लोकोमोटिव का कारखाना बनाया। ये जो बड़े-बड़े उद्योग हैं, यह ठीक है कि इन से अर्थ-तंत्र को मजबूती मिलती है, लेकिन यह देखा गया है कि केवल बड़े उद्योगों से आम जनता में आर्थिक विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाता है। अगर आप पंजाब और मद्रास की मिसाल को लें तो वहां छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों के जरिये फ़ी व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है – पिछले वर्षों में, उतनी वृद्धि अन्य प्रदेशों में जहां बड़े-बड़े उद्योग धन्धे लगे हुए हैं, नहीं हो पाई है।

इसलिये उत्तर प्रदेश में भी इस ओर बढ़ना कि वहां पर हर जगह छोटे छोटे उद्योग धन्धे लगाये जायं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश या अन्य भागों से जो बढ़ा हुआ है तो उसका कारण यही है कि वहां पर छोटे छोटे उद्योग धन्धे लगा दिये गये हैं। गाजियाबाद, मेरठ में बहुत सारे उद्योग धन्धे लगे हुये हैं। इस काम से वहां के रहने वालों ने पहल की है। उनमें एक रिस्क लेने की क्षमता है, आगे बढ़कर काम करने की क्षमता है, इस तरह से उस क्षेत्र को वहां के लोगों ने बढ़ाया है।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : जो 8 करोड़ रुपया आपने पूर्वी जिलों के लिये दिया है वह कौन कौन सी मदों में खर्च होगा, जरा इसकी भी व्याख्या कर दीजिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वह रुपया तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में खर्च हो चुका। अब तो आगे के लिये सोचना है।

एक सुझाव यह दिया गया कि चौथी योजना की तैयारी में उत्तर प्रदेश के सदस्यों की सलाह ली जाये। मैं समझता हूं यह एक अच्छा सुझाव है। औपचारिक रूप से सलाह हो या न हो लेकिन आप को अपने सुझाव योजना आयोग को देने ही चाहिये ताकि योजना आयोग की जानकारी बढ़ सके।

एक माननीय सदस्य : क्या पश्चिमी जिलों के सदस्यों की भी सलाह लेंगे क्योंकि उनको बोलने का मौका तो दिया नहीं गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं तो मौका देने वाला हूं नहीं।

श्री मोलहू प्रसाद : इस बात को भी आप सफाई कर दें कि इन 6 जिलों के अलावा और भी कोई जिले अगर ऐसे हों तो उन पर भी पटेल आयोग की शिफारिस लागू की जायेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य अगर साबित कर देंगे कि कोई और भी जिला उतना ही पिछड़ा हुआ है हालांकि इस बात को मैं कोई तारीफ नहीं समझता हूं तो उसको भी शामिल किया जा सकता है लेकिन इस समय तो मैं कैसे कहूं, अभी तो 6 जिले ही हैं।

जो केन्द्र से सहायता दी गई उसके बारे में भी यहां पर जिक्र हुआ। मैं मानता हूं कि केन्द्र से फी व्यक्ति जो सहायता दी गई वह अन्य प्रदेशों के मुकाबले में थोड़ी है और उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की आबादी काफी ज्यादा है। लेकिन अगर आप तीनों पंचवर्षीय योजनाओं को देखें तो सहायता बढ़ती गई है। पहली पंचवर्षीय योजना में 87 करोड़ रुपया दिया गया दूसरी योजना में 121 करोड़ रुपया दिया गया और तीसरी योजना में 356 करोड़

रुपया दिया गया। पहली योजना में 52 प्रतिशत, दूसरी योजना में 53 प्रतिशत और तीसरी योजना में 65 प्रतिशत थी। यानी दो रुपया केन्द्र ने दिया और एक रुपया प्रान्त ने दिया तब पंचवर्षीय योजना बनी।

एक माननीय सदस्य : आबादी के हिसाब से देना चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने स्वयं कहा है कि अगर फी-व्यक्ति के हिसाब से देखें तो वह सहायता थोड़ी है। लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना पड़ता है कि साधन कितने हैं और किस तरह से सारे देश में बांटें। सारे देश की आवश्यकताओं को देख कर ही बांटना पड़ता है। इसमें आबादी एक बड़ा फैक्टर है लेकिन उसके साथ ही और भी फैक्टर्स हैं, उन सभी को देखना पड़ता है। जैसे बड़ी बड़ी योजनाओं का देश के किसी कोने में भी सही—निर्माण हो रहा है तो उनका निर्माण कार्य रुकने न पाये, उनके लिये साधन मोहिया कराये जाते हैं। तो इन सारी चीजो को ध्यान में रखना होता है। लेकिन मैं कहूंगा कि पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में, आबादी का जो फैक्टर है, चाहे उसको औपचारिक रूप से ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो बनेगी उसमें आबादी के फैक्टर को विशेष वजन दिया जा रहा है। 70 फीसदी केन्द्रीय सहायता इसी आबादी के फैक्टर पर आधारित होगी और बाकी 30 प्रतिशत अन्य फैक्टर्स पर आधारित होगी।

श्री मोलहू प्रसाद : 50 फीसदी पिछड़ेपन के हिसाब से कर दीजिये, तभी उत्तर प्रदेश का फायदा होगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं समझता हूं इस बदले हुये आधार पर उत्तर प्रदेश को काफी सहूलियत मिल सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्य कई माननीय सदस्यों ने जो व्याख्यान दिये उनमें से कुछ तो बिल्कुल राजनीतिक थे, बजट से उनका कोई खास सम्बन्ध नहीं था। यादव जी ने अभी कहा कि कांग्रेस ने चुनाव घोषणा-पत्र में अलाभकर जोतों लगान माफ करने के लिये लिखा था, उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को कांग्रेस ने यह आश्वासन दिया था लेकिन उसको पूरा नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके दल ने तो अपना यह मूलभूत सिद्धान्त बना रखा है कि अलाभकर जोतों से लगान माफ करायेंगे और आप दस महीने तक वहां सरकार में बैठे रहे फिर भी वहां पर आज भी लगान बना हुआ है, तो इससे बड़ा और क्या धोखा हो सकता है। क्या आपने आश्वासन नहीं दिया था ?

श्री राम सेवक यादव : इसी लगान के सवाल को लेकर हमारी पार्टी के मंत्रियों ने तीन बार त्याग पत्र दिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं इस बात को मानता हूं कि उन्होंने त्याग-पत्र दिये और फिर वापिस ले लिये लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब सरकार नहीं चलेगी तब त्याग-पत्र वापिस नहीं लिये। यह बड़ी बुद्धिमानी की बात थी। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय, जब वहां पर छिछलेपन की बातें कही जाती हैं तो उनका उत्तर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है।

एक माननीय सदस्य : आप मौलिक बातों का उत्तर दीजिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मौलिक बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने दस महीने उस सरकार को जो देखा तो वह बहुत निराश हो गई और आज वह इस आशा में है कि जो नयी सरकार बनेगी उसमें वे तत्व नहीं आयेंगे जो कि पिछली सरकार में मौजूद थे। मौलिक बात तो इतनी ही है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार से एक फायदा जरूर हुआ और वह यह कि यह बात

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

साफ हो गई कि इस तरह की मिली जुली सरकारें जो कि किन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित नहीं होती उनसे प्रदेश का कोई फायदा नहीं हो सकता है। ...(व्यवधान)...

कुछ माननीय सदस्यों ने साम्प्रदायिक मसलों की ओर सदन का ध्यान खींचा है। यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर साम्प्रदायिक झगड़े हुये हैं पिछले दिनों में और हम महसूस करते हैं कि यह बड़े अफसोस की बात है और इसपर हमको गम्भीरता से विचार करना है। यह कोई राजनीतिक मसला नहीं है। इसमें हम सब एक हैं कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर इस तरह की चीजें नहीं होने चाहिये। जबकि देश का बटवारा हुआ था तब सब तरफ साम्प्रदायिकता की आग भड़की थी। अगर आप इतिहास को याद करें तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में हो वह आग रोकी गई थी, उत्तर प्रदेश से पूरब को वह आग फैलने नहीं दी गई थी। इस मसले में तो उत्तर प्रदेश की परम्परायें रही हैं लेकिन अफसोस है कि आज फिर कहीं कहीं इस तरह के दंगे हुये। हम जितने भी साथी यहां पर हैं, चाहे किसी भी दल के हों सभी को मिलकर इस बात को देखना है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीजें न हों। हमें अपील करनी है उत्तर प्रदेश की जनता से कि इस तरह की चीजों को रोका जाये।

श्री राम सेवक यादव : क्या आप दंगों की जांच करने के लिये संसद की एक कमेटी बनायेंगे ताकि अगर कोई दल या दल के व्यक्ति इसके जिम्मेदार रहे हों तो उनकी अस्लियत भी सामने आजाये और फिर सरकार को कुछ करने का मौका मिले ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जब कहीं दंगे होते हैं तो सरकार उनकी जांच करती ही है। हम सभी लोगों का तो यह कर्तव्य है कि सभी मिल कर इस चीज को दबायें। इसी के लिये मैं दरख्वास्त कर रहा था क्योंकि हमारा और आप का इस मामले में एक ही उद्देश्य है।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी मैं तेहरान गया था जहां पर मानव अधिकारों के सम्बन्ध में एक अन्तरांष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। वहां पर मैंने इस देश की ओर से एक वक्तव्य दिया था, उसका कुछ हिस्सा मैं यहां पर पढ़ना चाहता हूं क्योंकि उसका संबंध इस मामले से है। मैं माफी चाहता हूं, वह अंग्रेजी में है :

"My country has been, since the begnning of time, a melting pot of cultures, a crucible of peoples. Synthesis has been the hall mark of our national genius. India gave shelter to many peoples and races, provided a home to many ideas and culturers. It is not surpring, therefore, that Christianity came to India before Rome became Christian, and that there were Arab settelments on the coasts of India even in pre-Islamic days side by side with flourishing Jewish and Zoaroastrian communities. Islam added to this rich tapestry of religions and cultures and today, in the birth-place of the two great religions of the world, Hinduism and Budhism, we find Islam claiming over sixty million followers which makes India the home of third largest Muslim Community in the world."

यह मैं ने केवल इसलिए सदन के सामने रक्खा कि यह हमारा आदर्श है और इस आदर्श के पीछे हम को जो भी कार्य करना पड़े उस को करने के लिए तैया रहना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will now put all the cut motions to the vote.

All the cut motions were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the respective sums not exceeding the amount shown in the fourth column of the order paper, be granted to the president, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh, *to complete* the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in

respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 1 to 53.

The motion was adopted.

[The Motions for Demands for Grants which were adopted by the Lok Sabha, are reproduced below—Ed.]

1—Tax on Large Land Holdings

"That a sum not exceeding Rs. 2,51,500 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Tax on Large Land Holdings'."

2—Land Revenue

"That a sum not exceeding Rs. 8,11,93,900 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Land Revenue'."

3—State Excise

"That a sum not exceeding Rs. 34,34,300 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'State Excise'."

4—Sales Tax

"That a sum not exceeding Rs. 63,07,200 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Sales Tax'."

5.—Other Taxes and Duties

"That a sum not exceeding Rs. 20,39,400 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Other Taxes and Duties'."

6.—Stamps

"That a sum not exceeding Rs. 10,38,200 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day March, 1969, in respect of 'Stamps'."

7.—Registration

"That a sum not exceeding Rs. 23,99,100 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Registration'."

8.—State Legislature

"That a sum not exceeding Rs. 36,16,900 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come to course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'State Legislature'."

9.—Elections

"That a sum not exceeding Rs. 8,41,700 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Elections."

10.—General Administration

"That a sum not exceeding Rs. 1,97,51,200 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges

which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'General Administration'."

11.—Commissioners and District Administration

"That a sum not exceeding Rs. 7,74,28,900 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Commissioners and District Administration'."

12.—Gaon Sabhas and Panchyats

"That a sum not exceeding Rs. 1,21,41,200 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of the Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Gaon Sabhas and Panchayats'."

13.—Administration of Justice

"That a sum not exceeding Rs. 1,98,03,700 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Administration of Justice'."

14.—Jails

"That a sum not exceeding Rs. 2,18,38,100 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Jails'."

15.—Police

"That a sum not exceeding Rs. 16,86,36,900 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Police'."

16.—Food and Civil Supplies and other Organisations

"That a sum not exceeding Rs. 1,05,06,200 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Food and Civil Supplies and Other Organisations'."

17.—Scientific Research and Cultural Affairs

"That a sum not exceeding Rs. 16,68,500 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st of day March, 1969, in respect of 'Scientific Research and Cultural Affairs'."

18.—Education

"That a sum not exceeding Rs. 38,96,49,000 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Education'."

19.—Medical

"That a sum not exceeding Rs. 7,93,19,800 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Medical'."

20.—Public Health

"That a sum not exceeding Rs. 8,56,82,400 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the

sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Public Health'."

21.—Agricultural Development

"That a sum not exceeding Rs. 8,97,42,600 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Agricultural Development'."

22.—Colonisation

"That a sum not exceeding Rs. 2,14,100 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Colonisation'."

23.—Animal Husbandry and Fisheries

"That a sum not exceeding Rs. 3,52,75,900 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Animal Husbandry and Fisheries'."

24.—Co-operation

"That a sum not exceeding Rs. 1,55,55,300 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Co-operation'."

25.—Industries

"That a sum not exceeding Rs. 6,72,95,700 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Industries'."

26.—Planning and Co-ordination

"That a sum not exceeding Rs. 14,22,54,600 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Planning and Co-ordination'."

27.—Labour and Employment

"That a sum not exceeding Rs. 3,42,79,700 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Labour and Employment'."

28.—Information Directorate

"That a sum not exceeding Rs. 29,16,800 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Information Directorate'."

29.—Scheduled and Backward Classes

"That a sum not exceeding Rs. 2,91,40,600 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Scheduled and Backward Classes'."

30.—Social Welfare

"That a sum not exceeding Rs. 38,78,300 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges

which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Social Welfare'."

31.—Irrigation Works met from Revenue.

"That a sum not exceeding Rs. 16,20,52,200 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Irrigation Works met from Revenue'."

32.—Irrigation Establishment.

"That a sum not exceeding Rs. 6,51,35,100 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of 'Irrigation Establishment'."

33.- Public Works met from Revenue.

"That a sum not exceeding Rs. 8,26,56,000 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Public Works met from Revenue'."

34.—Improvement of Communications.

"That a sum not exceeding Rs. 83,75,400 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Improvement of Communications'."

35.—Public Works Establishment.

"That a sum not exceeding Rs. 2,83,38,400 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Public Works Establishment'."

36.—Grants-in-aid of Public Works.

"That a sum not exceeding Rs. 1,17,41,400 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Grants-in-aid of Public Works'."

37.—Transport.

"That a sum not exceeding Rs. 23,43,29,800 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Transport'."

38.—Famine Relief.

"That a sum not exceeding Rs. 34,44,300 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Famine Relief'."

39.—Superannuation Allowances and Pensions.

"That a sum not exceeding Rs. 2,42,26,900 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Superannuation Allowances and Pensions'."

40.—Political Pensions and Allowances.

"That a sum not exceeding Rs. 16,05,000 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Political Pensions and Allowances'."

41.—Stationery and Printing

"That a sum not exceeding Rs. 1,67,59,800 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Stationery and Printing'."

42.—Forest.

"That a sum not exceeding Rs. 4,83,74,100 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Forest'."

43.—Miscellaneous Charges.

"That a sum not exceeding Rs. 3,42,73,500 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Miscellaneous Charges'."

44.—Expenditure connected with National Emergency.

"That a sum not exceeding Rs. 1,48,38,700 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Expenditure connected with National Emergency'."

45.—Capital Outlay on Agricultural Schemes.

"That a sum not exceeding Rs. 33,43,57,000 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Agricultural Schemes'."

46 Capital Outlay on Industrial and Economic Development

"That a sum not exceeding Rs. 8,40,10,500 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Industrial and Economic Development'."

47.—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes

"That a sum not exceeding Rs. 10,09,33,000 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending of the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes'."

48.—Capital Outlay on Irrigation Works

"That a sum not exceeding Rs. 6,61,02,400 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Irrigation Works'."

49.—Capital Outlay on Public Works

"That a sum not exceeding Rs. 13,64,28,300 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges

which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Public Works'."

50.—Capital Outlay on Road Transport and other Schemes

"That a sum not exceeding Rs. 2,71,64,000 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Road Transport and Other Schemes'."

51.—Commuted Value of Pensions

"That a sum not exceeding Rs. 4,94,100 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary the defray the charges which will come to course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Commuted Value of Pensions'."

52.—Schemes of State Trading

"That a sum not exceeding Rs. 58,19,92,400 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum to necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day March, 1969, in respect of 'Schemes of State Trading'."

53.—Loans and Advances Bearing Interest

"That a sum not exceeding Rs. 47,44,55,600 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of 'Loans and Advances bearing Interest'."

15.22 hrs.

UTTAR PRADESH APPROPRIATION (NO. 2.) BILL* 1968

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT) : I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and apropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1968-69.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and apropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1968-69."

The motion was adopted

SHRI K. C. PANT : I introduce † the Bill.

I beg to move † :

"That the Bill to authorise-payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1968-69, be taken into consideration."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1968-69, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We will now take up clause-by-clause consideration of the Bill. The question is :

"That clause 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II. section 2, dated 3-5-68.

†Introduced/moved with the recommendation of the President.

SHRI K. C. PANT : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

15.24 hrs.

*DEMANDS FOR GRANTS (WEST BENGAL), 1968-69

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up discussion and voting of the demands for Grants in respect of the Budget (West Bengal) for 1968-69.

Demand No 1-4—Taxes on Income other than Corporation Tax

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 6,10,000 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of West Bengal to complete the sum necessary to defray the charges which will come in come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of '4—Taxes on Income other than corporation Tax'."

Demand No. 2-9—Land Revenue.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 3,91,44,000 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of West Bengal to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of '9—Land Revenue'."

Demand No. 2-76—Land Revenue—Other Miscellaneous Compensation and Assignments

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 19,21,000 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of West Bengal to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969. in respect of '76—Land Revenue – Other Miscellaneous Compensation and Assignments'."

Demand No. 2-92– Land Revenue—Payment of Compensation to Land-Holders, etc. on the abolition of the Zamindari System

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 2,33,34,000 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of West Bengal to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of '92 —Land Revenue—Other Miscellaneous Compensation to Land-Holders. etc. on the abolition of the Zamindari system'."

Demand No. 3-10—State Excise Duties

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved.

"That a sum not exceeding Rs. 56,45,000 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of West Bengal to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of '10—State Excise Duties'."

Demand No. 4-11—Taxes on Vehicles

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 11,43,000 be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of West Bengal to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of Marbh, 1969, in respect of '11-Taxes on Vehicles'."

*Moved with the recommendation of the President.